COOPERATION DEPARTMENT

The 11th January, 1996

No. 3506-C-7-95/1093.—The Governor of Haryana is pleased to constitute the State Level and District Level Coordination Committee to review the programmes and schemes for socio economic development of rural masses as envisaged in the training programmes proposed by National Council for Cooperative Training as under:—

State Level Committee:

1.	Registrar Cooperative Societies, Haryana Chandigarh.	.. Chairman
2.	Managing Director, Hafed.	.. Member
3.	Managing Director; Harco Bank.	.. Member
4.	Managing Director, Confed.	.. Member
5.	General Manager, Harco Bank.	.. Member-Secretary

District Level Committee:—

1.	Deputy Commissioner	.. Chairman
2.	Assistant Registrar, Cooperative Societies, Haryana (Hqrs.)	.. Member
3.	Managing Director, Central Cooperative Bank (concerned)	.. Member
4.	Deputy Manager Confed (concerned)	.. Member
5.	Manager C. B. (concerned)	.. Member-Secretary

M. K. MIGLANI,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Cooperation Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 10 नवम्बर, 1995

शुद्धि पत्र

क्रमांक 2509-ज-2-95/17065.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2509-ज2-95/15418, दिनांक 11 अक्तूबर 1995 को छटी पंक्ति में खरीफ, 1980 की बजाए रबी, 1980 पढ़ा जाए ।

क्रमांक 2780-ज-2-95/17061.—श्री उदे सिंह, पुत्र श्री श्योनाथ, निवासी गांव कबलाना, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1380-ज-2-80/3300, दिनांक 16 सितम्बर, 1980 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री उदे सिंह की दिनांक 21 जून, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री उदे सिंह की विधवा श्रीमती रजमन के नाम रबी 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 29 नवम्बर, 1995

क्रमांक 3144-ज-2-95/18272.—श्री श्योबक्स राम, पुत्र श्री सावंत राम, निवासी गांव मुहमदपुर हमीदखां, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 329-ज-1-79/40708, दिनांक 22 मार्च, 1979 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री श्योबक्स राम की दिनांक 25 अक्तूबर, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री श्योबक्स राम की विधवा श्रीमती सदाकौर के नाम खरीफ, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 3109-ज-2-95/18276.—श्री राम सरूप, पुत्र श्री चन्दगी राम, निवासी गांव बहलबा, तहसील रोहतक, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1101-ज-2-73/15303, दिनांक 31 अगस्त, 1974 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री राम सरूप की दिनांक 9 मार्च, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री रामसरूप की विधवा श्रीमती प्यारी के नाम खरीफ, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

(हस्ताक्षर) . . .,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।